भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-229
उत्तर देने की तारीख-**25**/11/2024

जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी

229.श्री मुरारी लाल मीना:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अपनाई गई नई नीतियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) विभिन्न नीतियों के अंतर्गत अब तक कितने शिक्षकों की नियुक्ति की गई है; और
(घ) क्या सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इन क्षेत्रों में कोई निरीक्षण कर रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए देश के अधिकांश विद्यालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती, देश के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों सहित संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आती है। इसके अतिरिक्त, भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और रिक्तियां, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, छात्रों की बढ़ती संख्या के परिणामस्वरूप शिक्षकों की बढ़ती आवश्यकता जैसे कई कारणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समय-समय पर समीक्षा बैठकों और परामर्शों के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इन रिक्तियों को स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों के माध्यम से भरने और उनकी युक्तिसंगत तैनाती हेतु अनुरोध करता है। केंद्र सरकार, समय-समय

पर यथासंशोधित नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों हेतु उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) वाले ब्लॉकों में स्थापित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) का उद्देश्य देश में जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) ईएमआरएस की केंद्रीय क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन और प्रबंधन हेतु निर्मित एक स्वायत्त निकाय ने संचालित विद्यालयों हेतु 10,391 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। परीक्षाएं दिसंबर, 2023 में आयोजित की गईं और जनवरी, 2024 में परिणाम घोषित किए गए। नियुक्ति के लिए प्रस्ताव फरवरी और मार्च, 2024 के दौरान आयोजित रोजगार मेले में सौंपा गया।

(घ): समग्र शिक्षा योजना के प्रावधानों के अनुसार, स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु ब्लॉक संसाधन केंद्रों (बीआरसी)/क्लस्टर संसाधन केंद्रों (सीआरसी) के माध्यम से स्कूलों का निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जाता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा के गुणवत्ता पहलुओं की निगरानी करने के साथ-साथ मूल्यांकन और अनुसंधान अध्ययन करने हेतु आवधिक उपलब्धि सर्वेक्षण भी आयोजित किए जाते हैं।

***